न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/ कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
41 / 2023	20.01.2023	13.06.2023

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोटडादीपसिंह

उनवान

1– प्रमोद पुत्र श्री राधश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

2– रितिक पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

3– गायत्री बाई पत्नी श्री राधश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– बिरधीलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

2– पूजा पुत्री राधश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

3– नरेन्द्र पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा

4– कान्हीबाई उर्फ कान्तीबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी नरोत्तम जाति धाकड निवासी आजापुरा श्योपुर म0प्र0

5– अनिताबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी रासबिहारी जाति धाकड निवासी धतुरिया तहसील अन्ता जिला बारां राज0

6– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88, 188, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 326 खसरा नम्बर 1003 पश्चिम रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 1772 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 1855 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 1856 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 1860 रकबा 0.98 हे0, ख0नं0 1895 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 6 रकबा 4.84 हे0 भूमि स्थित है।

उक्त आराजी को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

दीगोद जिला कोटा (राज.)

यह कि उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के तन्हा खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पुश्तैनी है जो प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिताजी से विरासत मे प्राप्त हुई है। उक्त आराजी मे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का जन्मतः हक अधिकार नियत है।

यह कि पक्षकारान का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-

बिरधीलाल

राधेश्याम	नरेन्द्र	कान्हीबाई उर्फ कान्तीबाई	अनिता बाई
पुत्र (मृतक)	पुत्र	पुत्री	पुत्री

प्रमोद	रितिक	पूजा	गायत्री बाई
पुत्र	पुत्र	पुत्री	बेवा

यह कि वादी क्रम 1 व 2 प्रतिवादी क्रम 1 के पोत्र तथा वादिया क्रम 3 पुत्र वधु है तथा प्रतिवादिया क्रम 2 पोत्री है तथा प्रतिवादी क्रम 3 पुत्र है व प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 पुत्रियां है। उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादिया क्रम 2 व वादिया क्रम 3 का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादिया क्रम 4 का 1/5 व प्रतिवादिया क्रम 5 का 1/5 हिस्सा बनता है।

यह कि प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 अपने अपने ससुराल में निवास करती है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 का कभी कोई कब्जा नही रहा है, प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 अपने हिस्से 1/5- 1/5 भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में मौखिक रूप से कर दिया है उक्त भूमि में अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 व वादिया क्रम 3 का हिस्सा 1/3 भूमि पर व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 भूमि पर तथा प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/3 भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 उक्त विवादित आराजी में हिस्सा 1/3 भूमि पर अपने पिताजी/पति राधेश्याम के हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त रहने से व जन्मतः हक अधिकार निहित होने से वादीगण को सम्पूर्ण विवादित आराजी में से 1/12- 1/12 हिस्से की भूमि के यादि 1/6 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 2 को 1/12 व प्रतिवादी क्रम 3 को 1/12 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

यह कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी क्रम 1 उक्त विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बेचान करने पर आमादा हे। इसलिए वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें, वादीगण को सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त शांतिपूर्वक करने देवे।

यह कि वाद कारण दिनांक 12.12.2022 को प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त आराजियात में अपना हिस्सा 1/20- 1/20-1/20 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये जिस कारण वाद बमुकाम ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद में उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1— कि ग्राम कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 326 खसरा नम्बर 1003 पश्चिम रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 1772 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 1855 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 1856 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 1860 रकबा 0.98 हे0, ख0नं0 1895 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 6 रकबा 4.84 हे0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिताजी/पति राधेश्यामक हिस्सा 1/3 पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 निरन्तर काबिज काश्त रहने रा व जन्मतः हक अधिकार निहित होने से वादीगण को सम्पूर्ण विवादित आराजी में से 1/0— 1/20—1/20 हिस्से की भूमि के यादि 3/20 हिस्से की भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 2 को 1/20 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडा दीपसिंह की सम्वत 2075—2078

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। पत्रावली आज दिनांक 13.06.2023 को ग्राम कोटडा दीपसिंह में प्रशासन गांवों के संग अभियान में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित है।

प्रतिवादीगण एव वादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा होने पर उभय पक्ष के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर पत्रावली की आदेशिका में सहमति से अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः—

प्रस्तुत राजीनामा

1- यह कि वादी क्रम 1 व 2 , प्रतिवादी क्रम 1 के पोत्र तथा वादिया क्रम पुत्र वधु है तथा प्रतिवादिया क्रम 2 पोत्री है तथा प्रतिवादी क्रम 3 पुत्र है व प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 पुत्रियां है। उक्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादिया क्रम 2 व वादिया क्रम 3 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 3 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 4का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादिया क्रम 5 का 1/5 हिस्सा बनता है।

2— यह कि प्रतिवादीया क्रम 4 व 5 अपने अपने ससुराल में निवासी करती है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 का कभी कोई कब्जा नही रहा है। प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 अपने हिस्से 1/5— 1/5 भूमि का परित्याग वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पक्ष में कर मौखिक रूप से कर दिया है। उक्त भूमि में अपना कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है, इसलिये वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 को 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 3 को 2/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5 हिस्सें का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

[illegible] अधिकारी हरविन्दर [illegible] सिंह (आर.ए.एस.)

प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प कोटडादीपसिंह

उनवान

1. [illegible] पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला [illegible] राज0
2. [illegible] पुत्र श्री राधेश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा राज0
3. [illegible] बाई पत्नी श्री राधेश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
2. पूजा पुत्री राधेश्याम जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
3. नरेन्द्र पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवासी कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा
4. कान्हीबाई उर्फ कान्ताबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी नरोत्तम जाति धाकड निवासी आजापुरा श्योपुर म0प्र0
5. अनिताबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी रासबिहारी जाति धाकड निवासी धतुरिया तहसील अन्ता जिला बारां राज0
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88, 188, आर.टी.एक्ट

मिसल नं0 41 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब [illegible]ुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत [illegible]जीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वादीगण एवं [illegible]तिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible]म कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 326 खसरा नम्बर 1003 [illegible]चम रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 1772 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 1855 रकबा 0.91 हे0 [illegible]नं0 1856 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 1860 रकबा 0.98 हे0, ख0नं0 1895 रकबा 0.84 हे0 [illegible] किता 6 रकबा 4.84 हे0 भूमि में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया [illegible] है। प्रतिवादिया क्रम 4 व 5 अपने हिस्से 1/5– 1/5 भूमि का परित्याग वादीगण [illegible] [illegible]दी क्रम 2 व 3 के पक्ष में कर मौखिक रूप से कर दिया है। उक्त भूमि में [illegible]

[illegible]

सहायक [illegible]
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

[illegible] नहीं करना चाहती है इसलिये वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 को 2/5 [illegible] प्रतिवादी क्रम 3 को 2/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5 हिस्से का [illegible] घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] शुल्क वसूल किया जाकर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व [illegible] अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक 13.06.2023 को प्रशासन गांव के संग [illegible] कैम्प कोटड़ा दीपसिंह मे डिक्री जारी की गयी।

[illegible] स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे
[illegible]		0
[illegible]	0	0
[illegible]	0	0
[illegible]	0	0
[illegible] हर्जाना	0	0
[illegible]	0	0
[illegible]	0	0

स्टाम्प अर्जी दावा मुतालबा	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बवत हर्जाना हुक्मनामा	0	0
मुतफ	0	0
मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)